कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

E-Mail ID :- Eewrdiv3baran@gmail.com

क्रमांक :– 1904 दिनांक :– 27/01/2025

सेवा में,

श्री मान उप वन संरक्षक

बारॉ

प्रसंग :– F 14(170/17)2017/FCA/PCCF/3777 dated 24.12.2024 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :– Proposal for diversion of 286.47 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Water Resource Division III, Baran for Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation project in Baran district, Rajasthan State

यूजर एजेन्सी का नाम :– EXECUTIVE ENGINEER WR DIV.III BARAN

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :– 286.50 ha. (Baran)

प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Baran distt. & Baran Territorial

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :– No.FP/RJ/IRRIG/27263/2017

S. No.	Query	Reply
1	पालना अपूर्ण । यूजर एजेन्सी द्वारा जल समागम योजना (CAT Plan) प्रस्तुत की गयी है किन्तु योजना उप वन संरक्षक एवं आप द्वारा तकनीकि रूप से जाँच किया जाकर अनुमोदन हेतु अभिषंषा नही की गयी है। योजना में वृक्षारोपण मॉडल में दरे सही नहीं है, वृक्षारोपण कहाँ होगा स्पष्ट नही है, 126 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में किस आधार पर एनीकट, गेबियन स्ट्रेक्चर की संख्या आंकलित की गयी है। आदि को स्पष्ट नही किया गया है।	अनुमोदित केट प्लान में प्रस्तावित कार्य वन विभाग के विभागीय मॉडल अनुसार ही प्रस्तावित है, जो की पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्रांक 3096–97 दिनांक 27.01.2022 द्वारा आपको प्रस्तुत किया जा चुका है। केट प्लान के संदर्भ में नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर के पत्रांक 5121–31 दिनांक 08.03.2023 के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा केट प्लान पर मुख्य वन संरक्षक कोटा/उप वन संरक्षक बारॉ से टिप्पणी चाही गई थी । जो पूर्व में कार्यालय द्वारा भिजवा दी गई है। उक्त केट प्लान को अनुमोदन हेतु वर्ष 2020 में तैयार किया गया था । अतः उक्त प्रस्ताव में वृक्षारोपण मॉडल की दरे 2020 की बी.एसआर के अनुसार ली गई है। इस केट प्लान के तहत उपचार की आवष्यकता वाला कुल क्षेत्रफल 121.65 वर्ग कि.मी. कुल कैचमेन्ट क्षेत्र 202.75 वर्ग कि.मी. के 60 प्रतिषत से अधिक के हिस्से को शामिल कर तैयार किया गया है। नालों के उपचार में इंजिनियरिंग/मैकेनिकल के साथ साथ वानस्पतिक तरीको की मदद लेकर तैयार किया जायेगा। जिसके परिणामस्वरूप ढलानों का स्थरीकरण होगा और नाले को और गहरा होने व कटाव को रोका जायेगा। नाले के खड़े ढाल को समतल करके कटाव के वेग को चैक डेम बनाकर कम किया जायेगा। अलग–अलग स्थितियों के प्रकार पर अलग–अलग माप के चैक डेम प्रस्तावित किये गये है।

		इस क्षेत्र के लिये निम्नलिखित प्रकार के उपाय की अनुषषा की जाती है। 1. एनीकट (20 वर्ग किमी. में 1 प्रस्तावित है।) 2. चैक डेम (2 वर्ग किमी. में 1 प्रस्तावित है।) 3. कन्टूर बंडिंग (5 वर्ग किमी. में 1 प्रस्तावित है।)
2	पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में पूर्व में उप वन संरक्षक बारॉ द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि में जूलीफलोरा की सघनता होने के कारण पारिभ्रषित वन भूमि डी.एफ.एल पर वृक्षारोपण चयनित किया गया था, किन्तु आप द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर में उप वन संरक्षक द्वारा गैर वन भूमि में ही जूलीफलोरा हटाये जाने के बाद वृक्षारोपण किया जाना अंकित किया गया है। उक्त वदलाव का कारण स्पष्ट नही है। बार–बार सूचनाएँ बदलाव कर गुमराह करने की कोषिष की जा रही है। जिसे स्पष्ट किया जाना है। प्रकरण में स्थल उपयुक्तता अनुसार ही वृक्षारोपण योजना संलग्न की जा नही प्रस्तावित है एवं पोर्टल पर अन्य योजनाएँ जो संबंधित नही है। उन्हे हटाया जाना प्रस्तावित है। जूलीफलोरा हटाये जाने के सम्बन्ध में योजना के अन्तर्गत राषि का प्रावधान नही रखा गया है। क्षेत्र में वन्यजीवों के दृष्टिकोण से जूलीफलोरा हटाने के संबंध में तकनीकी नोट भी संलग्न नही हैं।	श्रीमान उप वन संरक्षक बारॉ से सम्बन्धित है।
3	पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में ग्रामवार प्राप्त गैर वन भूमि का विवरण संलग्न नही किया गया है। साथ ही वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 के नियम 13 के अनुरूप छत्र घनत्व के अनुसार कोई टिप्पणी नही की गयी है।	श्रीमान उप वन संरक्षक बारॉ से सम्बन्धित है।
4	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना को बदला जाकर नवीन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संलग्न की गयी है। जिसका कारण स्पष्ट नही है। साथ ही पूर्व में प्रेषित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना के दस्तावेजों को भी पोर्टल से नही हटाये गये है।	श्रीमान उप वन संरक्षक बारॉ से सम्बन्धित है।
5	पालना अपूर्ण। यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट 1 में तकनीकी रिपोर्ट संलग्न की गयी है किन्तु उसमें वर्तमान फसल पेटर्न कुल लाभान्वित जनसंख्या भविष्य में फसल में बदलाव एवं इससे होने वाले सामाजिक आर्थिक लाभों की सूचना का अभाव है।	हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन से लगभग 54 गाँवों की 6885 हेक्टर भूमि के फसल चक्र में सार्थक बदलाव होगा। पूर्व में जहाँ इस भूमि पर केवल वर्षा आधारित खरीफ फसल जैसे बाजरा, ज्वार इत्यादि की खेती की जाती थी। जबकि इस परियोजना के क्रियान्वयन से वर्षा आधारित खरीफ फसल की उत्पादकता में वृद्धि होगी, साथ ही रबी की फसल गेहूँ, चना सरसों इत्यादि हेतु अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की काष्तकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं क्षेत्र की 25 हजार अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार सहित लगभग 80000 जनसंख्या के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में वृद्धि होगी। क्षेत्र के भू–जल स्तर में वृद्धि से परम्परागत जल स्त्रोंतों का भी दोहन कम होगा।

अधिशाषी अभियन्ता

जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारॉ

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

E-Mail : eewrdiv3baran@gmail.com - Phone No : 7453-237209

–: संक्षिप्त नोट :–

हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना के कियान्वयन से लगभग 54 गांवों की 6885 हेक्टर भूमि के फसल चक्र में सार्थक बदलाव होगा। पूर्व में जहॉ इस भूमि पर केवल वर्षा आधारित खरीफ फसल जैसे बाजरा, ज्वार इत्यादि की खेती की जाती थी। जबकि इस परियोजना के कियान्वयन से वर्षा आधारित खरीफ फसल की उत्पादकता में वृद्वि होगी, साथ ही रबी की फसल गेहूँ, चना, सरसों इत्यादि हेतु अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की काश्तकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं क्षेत्र की 25 हजार अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार सहित लगभग 80000 जनसंख्या के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में वृद्वि होगी। क्षेत्र के भू–जल स्तर में वृद्वि से परम्परागत जल स्त्रोतों का भी दोहन कम होगा।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड़ तृतीय, बारां